

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रमाण

कुलपति,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/01-(तीन)/2017/ 1136  
दिनांक : 31-5-17

सेवा में

प्रबन्धक,  
समनाथ धनन्जय स्मारक महिला महाविद्यालय  
जगदीशपुर, अतरौलिया, आजमगढ़।

विषय- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-02.05.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 30.05.2017 के क्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	पद नाम	वर्ग
1	श्री पंकज सिंह	श्री श्यामसुन्दर	27.10.1975	एम0एड0 नेट	बी0एड0(प्रवक्ता)	कला
2	श्री चन्द्रबलि पाण्डेय	श्री लालमनि पाण्डेय	03.07.1965	एम0एड0 नेट	बी0एड0(प्रवक्ता)	कला
3	श्री गोविन्द मौर्य	श्री पी0जी0 मौर्य	11.04.1982	एम0एड0 नेट	बी0एड0(प्रवक्ता)	कला
4	श्री अभिषेक दूबे	श्री विद्याधर दूबे	05.03.1979	एम0एड0 नेट	बी0एड0(प्रवक्ता)	कला
5	श्री संतोष कुमार गौड़	श्री प्रभूनाथ गौड़	10.08.1983	एम0एड0 नेट	बी0एड0(प्रवक्ता)	कला
6	श्री सत्यप्रकाश	श्री रामसूरत	01.05.1988	एम0एड0 नेट	बी0एड0(प्रवक्ता)	विज्ञान
7	श्री शैलेन्द्र कुमार मौर्या	श्री दशरथ मौर्या	15.07.1987	एम0एड0 नेट	बी0एड0(प्रवक्ता)	शा0शि0
8	श्री प्रेम प्रकाश प्रजापति	श्री सर्वदेव प्रजापति	20.01.1990	एम0एड0 नेट	बी0एड0(प्रवक्ता)	कला

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्फ्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण-पत्र/पी0एच0डी0 प्रमाण-पत्र सत्यापन के अधीन, कक्षा संचालन के अन्तर्गत किया जाता है।

भवदीय,

  
कुलसचिव